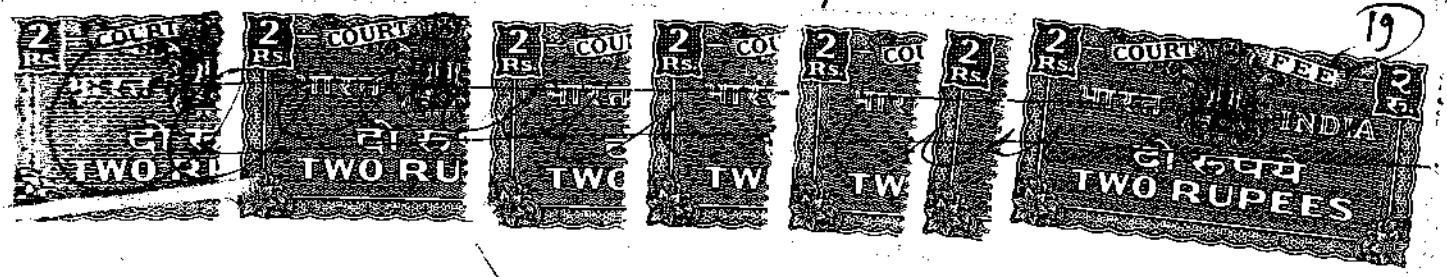

माननीय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक : /2004 निगरानी. - 77 - IV/2004

श्री एम0पी0 भटनागर अभि0 द्वारा दिनांक 16/1/04 को प्रस्तुत ।

हरिमुख पुत्र श्री रघुवर बघेल,
निवासी ग्राम मल्लपुरा {मेहगांव},
तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड म0 प्र0।

— निगरानीकर्ता.

विरुद्ध

1. गयाप्रसाद ।
2. कुंवल । समस्त पुत्रगण श्री बलवंत सिंह
3. शंकर । बघेल,
4. महेन्द्र सिंह ।
5. महिला फूला बाई बेवा रामसहीन बघेल,
6. बाबूराम ।
7. रामस्वरूप । समस्त पुत्रगण श्री रामसहीन बघेल,
8. रामऔतार ।
9. उदल सिंह ।
10. रामनरेश । समस्त पुत्रगण श्री श्यामलाल
11. सूबेदार सिंह । बघेल
12. जयवीर ।

समस्त निवासीगण मल्लपुरा तहसील मेहगांव
जिला भिण्ड {म0 प्र0} ।

— रेस्पाडेन्ट्स.

M.P. Bhatnagar Adv
16.1.04

"निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग द्वारा पारित

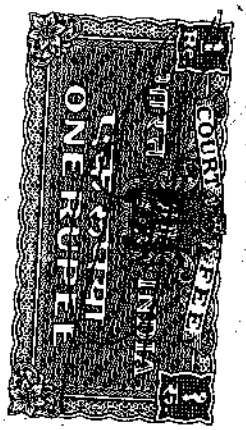

R-77-II/04 (निगरानी)

6-6-16 प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 77/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–2003 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक हरिमुख पुत्र छबू वघेले निवासी ग्राम मल्लपुरा (गोअरा) ने तहसीलदार मेहगॉव को म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत सामिलाती भूमि के बटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार वृत्त अमायन तहसील मेहगॉव ने प्रकरण कमांक 20/92–93 अ 27 दर्ज करके आदेश दिनांक 30–4–94 पारित किया तथा सामिलाती भूमि में आवेदक का हिस्सा 1/3 पाते हुये पटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अपील अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने प्रकरण कमांक 119/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–72–2003 से

अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 77/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–2003 से अपील ऑशिक रूप से स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि हितबद्व पक्षकारों को सुनकर पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जाय। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के अपील प्रकरण कमांक 77/2002–03 का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसील न्यायालय व्दारा बटवारा प्रकरण कमांक 20/92–93 अ 27 में अनावेदकगण के लिये जो सूचना पत्र जारी किये गये है उन्हें वह निर्वाहित नहीं हुए हैं तथा चस्पीदगी की जो प्रकिया अपनाई गई है वह भी नियमानुसार नहीं है । फर्द बटवारा करते समय बटवारे हेतु तैयार की गई फर्द पर प्रत्येक सहखातेदार की सहमति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है परन्तु नायव तहसीलदार वृत्त अमायन व्दारा प्रकरण कमांक 20/92–93 अ 27 में पारित आदेश दिनांक 30–4–94 से किया गया बटवारा दूषित प्रकिया पर आधारित होना पाये जाने के कारण तथा अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव व्दारा तहसील न्यायालय व्दारा अपनाई गई दूषित बटवारा प्रकिया की तह में न जाते हुये मात्र विलम्ब के आधार पर अपील निरस्त करने के कारण न्यायदान की दृष्टि से विद्वान अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 77/2002–03 अपील

DO(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

करण कमांक 77–चार/2004 निगरानी जिला भिण्ड

कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव उनके अभिभाषकों के हस्ताक्षर
में पारित आदेश दिनांक 31–12–2003 से पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देने एंव संहिता की धारा 178 में दिये गये बटवारा नियम व प्रकिया अनुसार बटवारा करने के उद्वेश्य से प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 77/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है। सदस्य	